



बोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-05.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री राजीव नन्दन, स०वि०स०
- श्री जिवेश कुमार, स०वि०स०
- श्री मनोज कुमार, स०वि०स०
- श्री लालबाबू प्र. गुप्ता, स०वि०स०
- श्री दिनकर राम, स०वि०स०
- श्री शत्रुघ्न तिवारी, स०वि०स०
- श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स०
- श्री राज कुमार राय, स०वि०स०
- श्री सत्यदेव सिंह, स०वि०स०
- श्री हेम नारायण साह, स०वि०स०
- श्री रविन्द्र यादव, स०वि०स०
- श्री ललन पासवान, स०वि०स०
- श्री चन्द्रसेन प्रसाद, स०वि०स०
- श्री रवि ज्योति कुमार, स०वि०स०

“पिछड़ा वर्ग / अतिपिछड़ा वर्ग / शिक्षा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के फार्म भरने की तिथि 08.02.2018 से 28.02.2018 तक निर्धारित की गई है। इसी बीच महाविद्यालय / कॉलेज में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा चल रही है। इस कारण कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज बंद है, परीक्षा संचालन होने से कॉलेज में आना-जाना मना है जिसके कारण छात्रवृत्ति का फार्म प्राचार्य महोदय से सत्यापित नहीं हो पा रहा है, जो अनिवार्य है।

अतः पिछड़ा वर्ग / अतिपिछड़ा वर्ग / अनु० जाति / अनु० जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति फार्म भरने की तिथि 28.02.2018 से आगे बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स०	"बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1979 के तहत 14 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाना है जिसमें चार सदस्य पदेन सदस्य होते हैं तथा शेष 10 सदस्यों को सरकार मनोनीत करती है। सन् 2015 से अबतक सरकार द्वारा पूर्णरूपेण बोर्ड का गठन नहीं कर केवल चार पदेन सदस्य एवं एक चेयरमैन से काम चलाया जा रहा है।"	शिक्षा
	श्री फैयाज अहमद, स०वि०स०	अतएव कामचलाऊ बोर्ड को समाप्त कर 14 सदस्यीय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	
	श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स०		
	श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स०		

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

जाप संख्या-ध्या०प्र०-३/१८- ८६३-८८३ वि०स०, पटना, दिनांक-२८ फरवरी, २०१८ ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री /
माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव /
सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा
शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रदीप कुमार राय
२१.२.२०१८

(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

जाप संख्या-ध्या०प्र०-३/१८- ८६३-८८३ / वि०स०, पटना, दिनांक-२८ फरवरी, २०१८ ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को
क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रदीप कुमार राय
२१.२.२०१८
(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।